



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



भारत गुरुकुल

पत्रांक- 354 /12-1 देहरादून : दिनांक: 23 अगस्त, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

जनपद-अल्मोड़ा में द्वारसों काकडीघाट मोटर मार्ग के सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/53059/2020).

संदर्भ -भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/52/2022/एफ0सी0/1622 दिनांक 27.03.2024.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयोंकित प्रकरण में सूचना चाही गयी है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-297/12-1(2) दिनांक 01-08-2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई प्रतिउत्तर निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र.सं.	आपत्तियाँ	उत्तरालेख
1	As per DSS analysis, KML area of proposed diversion becomes only 0.03 ha instead of 0.62 ha, State Government is requested to give clarification in this regard and provide correct KML file,	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की संशोधित के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन पार्ट-1 के सैक्शन सी0ए0 में अपलोड कर ली गयी है।
2	CA is proposed over degraded forest land (RF area). As per Van (Sanrakshan Samvardhan) Rules, 2023 CA required to be selected in non- forest land only.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल का चयन सिविल क्षेत्र में कर लिया गया है। सी0ए0 क्षेत्र के समस्त प्रपत्र ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट-1 सैक्शन एल0 में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-01)
3	During examination of the proposed area KML file, it is observed that there is some construction work that been started without approval near the river side.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा नदी की ओर इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत नौगाँव पनौरा मोटर मार्ग है, जिसका ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 एफ0सी0/यू0के0/रोड/11112/2015 है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-412/X-X-16/1(137)/2025 दिनांक 13.12.2016 के द्वारा विधिवत स्वीकृत प्रदान की गयी है। (संलग्नक-02)
4	It is noticed that site Inspection Report of DFO does not contains proposal details SIR pf DFO is required to be submitted in proper format.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी SIR संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-03)
5	NPV calculation on the revised rate is required to be provided.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा पूर्व में नवीन दरों के अनुसार ही तैयार कर प्रेषित किया जा गा है, जिसे पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-04)

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 354 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

प्र. सं. संलग्न (91)

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 294 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 01/08/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं०- 53059/2020)

संदर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक संख्या- 8बी०/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२२/एफ०सी०/दि०-२७.०३.२०२४

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, के पत्रांक- 467/12-1(2) दिनांक- 29.07.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- तीन प्रतियों में।

भवदीय

के.के.

(डॉ. धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी अल्मोड़ा
आ.का.के.र.

प्र. क. सं. नो.
6/8/25

वर ११/१२/२०२५

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक

467 / 12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक 29/04/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/53059/2020)।

संदर्भ — अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०व०, अल्मोड़ा का पत्रांक 2302/7सी० व०भू० दिनांक 15.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा प्राप्त कर निम्नवत प्रेषित है:-

क्र. सं.	आपत्ति	प्रत्युत्तर
1	As per DSS analysis, KML area of proposed diversion becomes only 0.03 ha instead of 2.62 ha, State Government is requested to give clarification in this regard and provide correct KML file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की संशोधित के०एम०एल० फाईल ऑनलाईन के पार्ट 1 के सैक्शन सी०ए में अपलोड कर ली गयी है।
2	CA is proposed over degraded forest land (RF area). As per(Van Sanrakshan evem Samvardhan) Rules, 2023 CA required to be selected in non-forest land only.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का चयन सिविल क्षेत्र में कर लिया गया है। सी०ए० क्षेत्र के समस्त प्रपत्र ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट 1 सैक्शन एल० में अपलोड कर लिया गया है।
3	During examination of the proposed area KML file, it is observed that there is some construction work that has been started without approval near the river side.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि नदी की ओर इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत नौगाँव पनौरा मोटर मार्ग है। जिसका ऑनलाईन प्रस्ताव सं० एफ०पी०/यू०के०/रोड/11112/2015 है। वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग के पत्र सं० 412/X-X-16/1(137)/2015 देहरादून दिनांक 13.12.2026 के द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त है।
4	It is noticed that Site Inspection Report of DFO does not contains proposal details. SIR of DFO is required to be submitted in proper format.	संलग्न है।

5	NPV calculation on the revised rate is required to be submitted in proper format.	पूर्व में नवीन दरों के अनुसार ही तैयार कर प्रेषित किया गया है, जिसे पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
---	---	--

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 467 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand
E-mail: eepdalmora@rediff.com



पत्रांक 2302/7सी0

दिनांक 15 जुलाई 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:

जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं0 53059/2020)।

संदर्भ:

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 08 बी0/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0 दिनांक 27.03.2024 एवं आपका पत्र सं0 5118/12-1(2) दिनांक 29.04.2024

महोदय,

है:-

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	As per DSS analysis, KML area of proposed diversion becomes only 0.03 ha instead of 2.62 ha. State Government is requested to give clarification in this regard and provide correct KML file.	प्रस्तावित मोटर मार्ग की संशोधित के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन के पार्ट 1 के सैक्शन सी0 में अपलोड कर ली गयी है।
2	CA is proposed over degraded forest land (RF area). As per Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Rules, 2023 CA required to be selected in non-forest land only.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का चयन सिविल क्षेत्र में कर लिया गया है। सी0ए0 क्षेत्र के समस्त प्रपत्र ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट 1 के सैक्शन एल0 में अपलोड कर लिया गया है।
3	During examination of the proposed area KML file, it is observed that there is some construction work that has been started without approval near the river side.	नदी की ओर इस खण्ड के अंतर्गत स्वीकृत नौगाँव पनौरा मोटर मार्ग हैं। जिसका ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 एफ0पी0/यू0के0/रोड /11112/2015 है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 के पत्र सं0 412/X-X-16/1(137)/2015 देहरादून दिनांक 13.12.2016 के द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त है।
4	It is noticed that Site Inspection Report of DFO does not contains proposal details. SIR of DFO is required to be submitted in proper format.	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।
5	NPV calculation on the revised rate is required to be provided.	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 5-5 प्रतियाँ प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

पत्रांक

/7सी0

तददिनांकित

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता(पंचम), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कर्मचारी सं0 720

फाईल सं0 12-1(2)

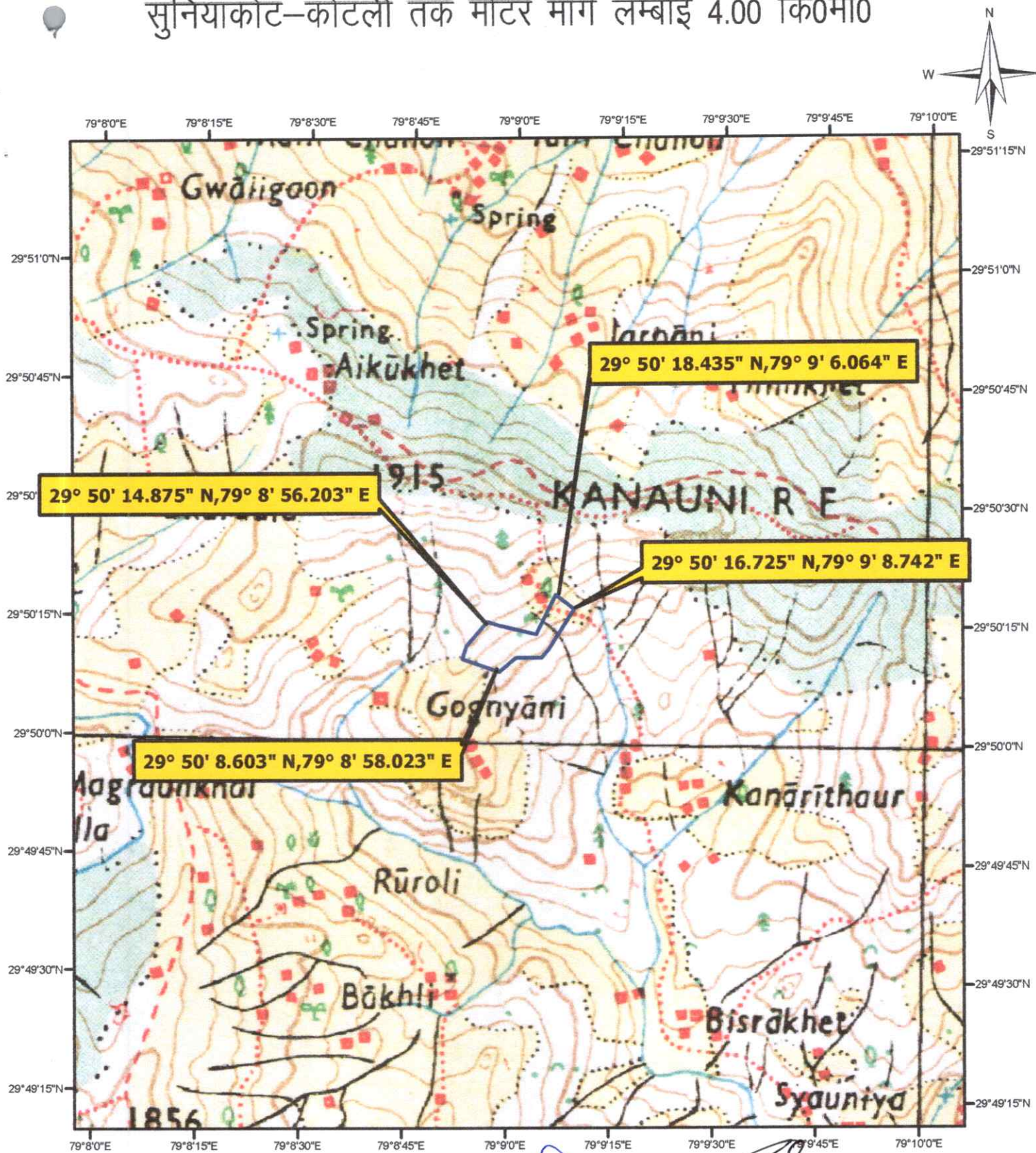
दिनांक 19/07/2025

अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

सुलगु-७

जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से
सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०



Legend :-

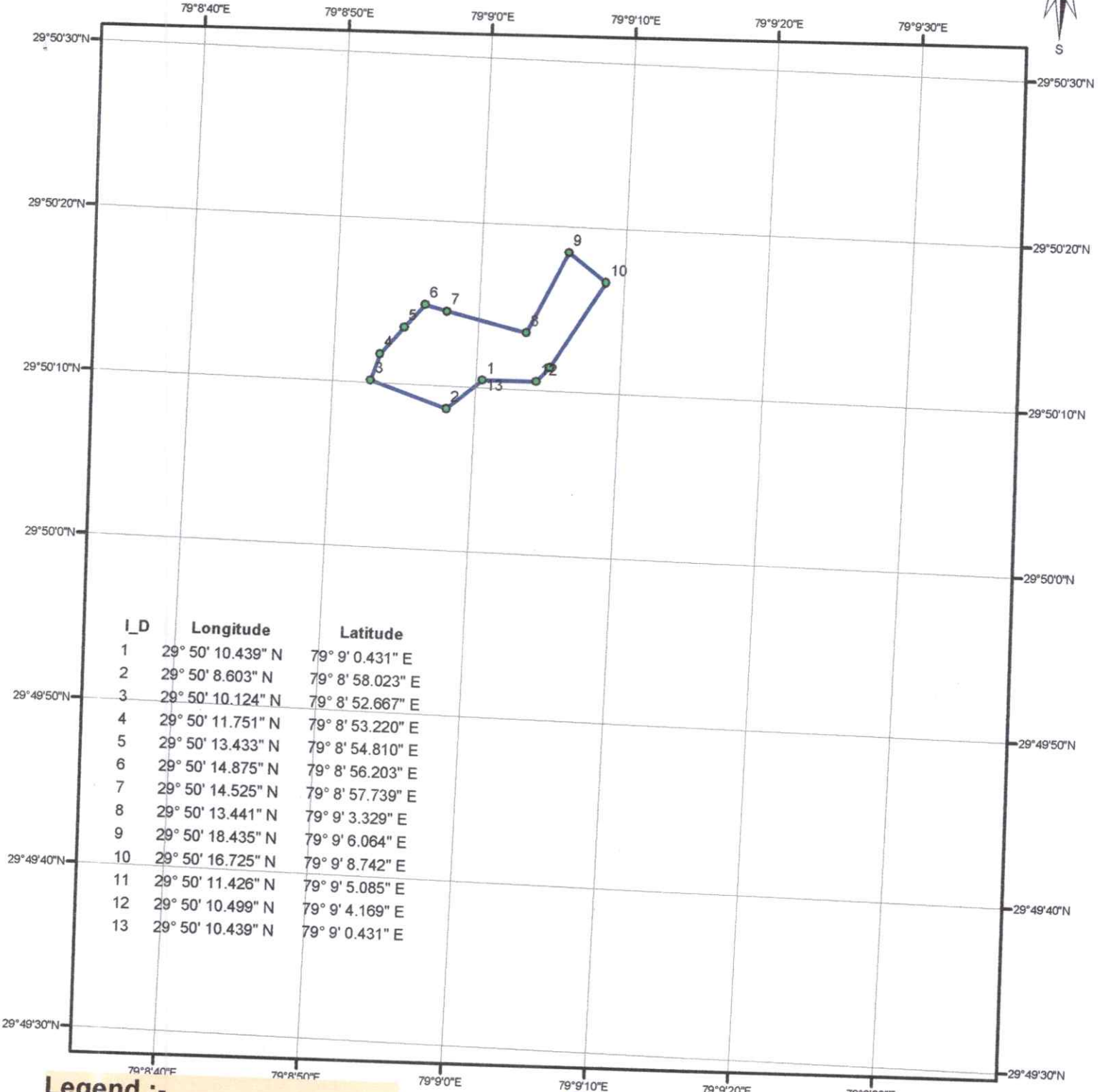
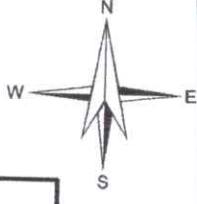
 Ca Area(5.256 ha) Kanarithor Sivil

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय सड़क लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से
सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०



Legend :-

- GPS
- Ca Area(5.256 ha) Kanarithor Sivil

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

अल्मोड़ा जिला, उत्तरांचल प्रदेश,
राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.

अधिकारी अभियन्ता
ग्रामीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग निर्माण के किमी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटला तक माटर मार्ग क सापेक्ष कनारायाड सिविल/पंचायत के खेत संख्या रकबाहै०, कुल 5.256 है०, भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों का प्रावकलन।

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य					
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य	प्रति है०	5.256	1453.00	7636.97
2	क्षेत्र की सफाई	प्रति है०	5.256	1259.00	6617.30
4	घेरबाड़ करना चैनलिंग वायर से घेरबाड़ कार्य (193 र०मी० प्रति है०)	प्रति घ०मी०	5.256	359990.00	1892107.44
5	पौधों की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 5782+1157 पौध	प्रति पौध	6939	15.90	110330.10
6	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्रति गडडा	5782	15.80	91355.60
7	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य 1. कन्टूर फर्रे 450 र०मी० (450x35=15750) (साईज 1x0.30x0.30) 2. चाल खाल 2 संख्या (2x6500=13000) (साईज 4x2.5x1.00) कुल योग - 28750	प्रति है०	5.256	28750.00	151110.00
8	निरीक्षण बटिया	प्रति है०	5.256	1046.00	5497.78
उप योग-					2264655.00
9	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक भू० एवं जल संरक्षण विकास विकास एवं अनुरक्षण कार्य 02 प्रतिशत	प्रति है०	5.256	2%	45293.10
10	मुल्याकन एवं अभिलेखीकरण 0.50 प्रतिशत	प्रति है०	5.256	0.50%	11323.28
11	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है०	5.256	0.50%	11323.28
14	अन्य आक्स्मक व्यय- 1 प्रतिशत	प्रति है०	5.256	1%	22646.55
योग प्रथम वर्ष					2355241.20
द्वितीय वर्ष वृक्षारोपण कार्य					
1	गडडा भरान	प्रति गडडा	5782	2.48	14339.36
2	कन्टूर फर्रे में बीज बुआई	प्रति र०मी०	2367	1.50	3550.50
3	पौधों की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 5782+1157 पौध	प्रति पौध	6939	2.70	18735.30
4	पौध डुलान (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1787+358 पौध 1. वाहन द्वारा 50 कि०मी० से लोडिंग व अनलोडिंग सहित 2. सिरबोझ डुलान 3 कि०मी०	प्रति पौध	6939	12.17	84447.63
		प्रति पौध	6939	8.16	56622.24
5	पौधा रोपण कार्य	प्रति पौध	5782	4.44	25672.08
6	निराई गुडाई प्रथम बार	प्रति पौध	5782	1.64	9482.48
7	निराई गुडाई द्वितीय बार	प्रति पौध	5782	1.64	9482.48
8	खाद/रसायन	प्रति पौध	5782	0.45	2601.90
9	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 है० = 20568.00 1. 5.0 है० तक वृक्षारोपण - 20568.00 2. 6.0 है० से 10 है० तक वृक्षारोपण- 3. 10 है० से 20 है० तक वृक्षारोपण-	प्रति है०	5.256	20568.00	108105.41
					0.00
					0.00
					0.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	5.256	318.00	1671.41
11	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग-प्रूनिंग व थावलान्दी कार्य (100 प्रति है०)	प्रति है०	5.256	26.67	140.18
12	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य	प्रति है०	5.256	1.50	7.88
उप योग-					334858.85
13	मुल्याकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है०	5.256	1%	3348.59
14	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है०	5.256	0.50%	1674.29
17	अन्य आक्स्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है०	5.256	2%	6697.18
18	साईन बोर्ड लगाना (3x4फीट) कम्पलीट कार्य	प्रति है०	5.256	1000.00	5256.00
योग द्वितीय वर्ष					351834.91
अनुरक्षण श्रमिक हेतु हट निर्माण		संख्या	1	L.S	500000.00
कुल योग द्वितीय वर्ष					851834.91

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाइ	दर	घनराशि
तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण--	प्रति है0	5.256	30852.00
				162158.11
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौधों की कीमत व ढुलान का मुल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	प्रति पौध	1157	38.93
				45042.01
3	निराई गुड़ाई प्रथम बार	प्रति पौध	5782	1.64
				9482.48
4	निराई गुड़ाई द्वितीय बार	प्रति पौध	5782	1.64
				9482.48
5	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00
				1671.41
	उपयोग -			227836.49
6	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%
				2278.36
7	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%
				1139.18
8	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%
				4556.73
	योग -			7974.28
	योग तृतीय वर्ष			235810.77
चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण--	प्रति है0	5.256	30852.00
				162158.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00
				1671.41
	उपयोग -			163829.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%
				1638.30
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%
				819.15
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%
				3276.59
	चतुर्थ वर्ष का योग -			169563.55
पंचम वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण--	प्रति है0	5.256	30852.00
				162158.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00
				1671.41
	उपयोग -			163829.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%
				1638.30
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%
				819.15
5	अन्य आविस्मक व्यय-- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%
				3276.59
	योग पंचम वर्ष			169563.55
षष्ठम वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण--	प्रति है0	5.256	30852.00
				162158.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00
				1671.41
	उपयोग -			163829.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%
				1638.30
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%
				819.15
5	अन्य आविस्मक व्यय-- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%
				3276.59
	योग षष्ठम वर्ष			169563.55

सप्तम वर्ष अनुरक्षण कार्य

1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0		30852.00	162158.11
			5.256		
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00	1671.41
	उपयोग -				163829.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%	1638.30
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%	819.15
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%	3276.59
	योग सप्तम वर्ष				169563.55

अष्टम वर्ष अनुरक्षण कार्य

1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0		30852.00	162158.11
			5.256		
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00	1671.41
	उपयोग -				163829.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%	1638.30
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%	819.15
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%	3276.59
	योग अष्टम वर्ष				169563.55

नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य

1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0		30852.00	162158.11
			5.256		
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00	1671.41
	उपयोग -				163829.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%	1638.30
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%	819.15
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%	3276.59
	योग नवम वर्ष				169563.55

दशम वर्ष अनुरक्षण कार्य

1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0		30852.00	162158.11
			5.256		
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00	1671.41
	उपयोग -				163829.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%	1638.30
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%	819.15
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%	3276.59
	योग दशम वर्ष				169563.55

एकादश वर्ष अनुरक्षण कार्य

1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0	5.256	30852.00	162158.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00	1671.41
	उपयोग -				163829.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%	1638.30
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%	819.15
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%	3276.59
	योग एकादश वर्ष				169563.55

द्वादश वर्ष अनुरक्षण कार्य

1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0	5.256	30852.00	162158.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	5.256	318.00	1671.41
	उपयोग --				163829.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	1%	1638.30
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	0.50%	819.15
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	5.256	2%	3276.59
	योग द्वादश वर्ष				169563.55

व्यय सार

प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)	-	-	2355241.20
द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)	-	-	851834.91
तृतीय वर्ष (अनुरक्षण प्रथम वर्ष)	-	-	235810.77
चतुर्थ वर्ष (अनुरक्षण द्वितीय वर्ष)	-	-	169563.55
पंचम वर्ष (अनुरक्षण तृतीय वर्ष)	-	-	169563.55
षष्ठम वर्ष (अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष)	-	-	169563.55
सप्तम वर्ष (अनुरक्षण पंचम वर्ष)	-	-	169563.55
अष्टम वर्ष (अनुरक्षण षष्ठम वर्ष)	-	-	169563.55
नवम वर्ष (अनुरक्षण सप्तम वर्ष)	-	-	169563.55
दसम वर्ष (अनुरक्षण अष्टम वर्ष)	-	-	169563.55
एकादस वर्ष (अनुरक्षण नवम वर्ष)	-	-	169563.55
द्वादस वर्ष (अनुरक्षण दशम वर्ष)	-	-	169563.55
योग-	-	-	4968958.85
या-	-	-	4968959.00

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

प्रस्ताव का नाम— जनपद अल्मोड़ा में द्वारसो—काकड़ीघाट
मोटर मार्ग के किमी० 2.00 से सुनियाकोट—कोटली तक
मोटर मार्ग।

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

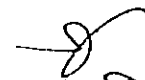
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई तहसील स्याल्दे के ग्राम
कनारीथौड़ सिविल की 5.256 है० भूमि स्थलीय आख्या के
अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।



ज.प्र.अ. १०८३/१०८४
२०१५-१६



उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत, अल्मोड़ा वन प्रभाग



प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

उपक

मीनाक्षी जोशी

आपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

आपर धर्मपुर वन संरक्षक/नौदल अधिकारी

वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर

फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून दिनांक: 13 दिसम्बर, 2016

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में नौगाँव से पनौरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.865 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3028/FP/UK/ROAD/11112/2015 दिनांक 08.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-258/X-4-15/1(137)/2015, दिनांक 14.05.2015 में अधिरोपित कतिपय शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद-अल्मोड़ा में नौगाँव से पनौरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.865 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०सी०पी० पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथार्थिती उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
9. मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथारसमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMP) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों का काम को रोकने के लिए की आपूर्ति की जायेगी जिससे गिरफ्तारी वनों पर जैविक मगस को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए काँप का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से परियोजना के दौरान गिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर गक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलबे का निस्तारण निम्नलिखित पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलबे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नीचे पर निस्तारित नहीं किया जायेगा।
16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उ-उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलबा निस्तारण एवं परियोजना आस-पास स्थित स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (at hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तर होगा।
19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड अपने माध्यम से उक्त शर्तों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,
(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्या: 412 (1)/X-4-16/1(137)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

सुनियोजित कोटुली भोरर जार्ने (प्रताप सं. 53059/2020)

श्रीलोक-03

Check list for site inspection by the DFO/ DFO/CF/CCF/APCCF

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	2.628
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No —
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc..	—
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	—
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	No
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	No
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	No
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability	Yes enclosed

	of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	No
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	-
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	-
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	-
20	Alternatives examined by the User-Agency in case of non-site specific projects.	Yes
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Yes enclosed
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	-
23	Any other issue of significance.	-
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	agreed with the proposal

Date- 14/06/2025

Signature-

Name

Designation =

Seal-

(Deepak Singh)
प्रभागीय वनाधिकारी
बल्बोहा वन प्रभाग बल्बोहा

परियोजना का विवरण - जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.4 से सुनियाकोट कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है -

1. ईको-क्लास श्रेणी - V
2. हरियाली का घनत्व - 0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० - 1005210.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 2.628 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि - 2641692.00

Mahesh

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।